न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 313/III/2014 विरूद्व आदेश दिनांक 08.01.2014 पारित व्दारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण कमांक 427 अ 6/2009–10 अपील

पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र अनन्तसिंह ठाकुर, निवासी
ग्राम कदारी तहसील व जिला छतरपुर ——— आवेदक

विरूद्व

1– रतीराम पटैल पुत्र परमाल पटैल निवासी
ग्राम बृजपुरा तहसील व जिला छतरपुर
2– मध्य प्रदेश शासन ———अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़)
(अनावेदक–1 सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)
(अनावेदक–2 पैनल अभिभाषक श्री राजीव गौतम)

आ दे श

(आज दिनांक 14 –8 –2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्र0क0 427/अ–6/2009–10 अपील में पारित आदेश दि0 8–1–2010 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने अधीक्षक , भू अभि0 भू प्रबंधन शाखा छतरपुर को म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 सहपठित 116 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम कदारी स्थित भूमि सर्वे नंबर 267/1 रकबा 10.73 एकड़ यानि 4.342 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर संबत 2011 से 2015 तक उसके नाम गैर हकदार वर्ग–6 में दर्ज रही है किन्तु हलका पटवारी ने बिना सक्षम आदेश के मनमाने तरीके से यह भूमि शासन के नाम दर्ज कर दी है इसलिये सुधार किया जावे। अधीक्षक भू अभि0 भू प्रबंधन शाखा छतरपुर ने प्रकरण कमांक 84/2003–04 अ 6 अ पंजीबद्व किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 25.10.2004 करके वादग्रस्त भूमि आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज करने के आदेश दिये।

अधीक्षक , भू अभि0 भू प्रबंधन शाखा छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 84/2003–04 अ 6 अ में पारित आदेश दिनांक 25.10.2004 के विरूद्व अनावेदक कमांक 1 ने प्रथम अपील अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 261/अ–6 अ/2008–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.6.2010 से अपील स्वीकार की एंव वादग्रस्त भूमि पुनः मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने द्वित्तीय अपील अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण कमांक 427/अ–6/2009–10 अपील में पारित आदेश दि0 8–1–2010 से अपील अस्वीकार की । इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक एंव अनावेदक कमांक–2 के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अनावेदक कमांक–1 बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्व एकपक्षीय है।

4/ आवेदक एंव अनावेदक कमांक–2 के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अधीक्षक , भू अभि0 भू प्रबंधन शाखा छतरपुर के प्रकरण कमांक 84/2003–04 अ 6 अ में पृष्ठ 19 पर वादग्रस्त भूमि के खसरा 1955–56 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है जिसके कालम नंबर 7 " बल्दियत कौमियत सकूनत व नवेयत कास्त का नाम सोरदार " में भूमि सर्वे कमांक नंबर 267 रकबा 10.63 के सामने इस प्रकार अॅकन है –

" पुष्पेन्द्र सिंह बल्द आनन्द सिंह सा.देह वर्ग–6 "

उक्त खसरे के नीचे खतौनी ग्राम कदारी वर्ष 1958–59 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है जिसके कालम नंबर 4 में पुष्पेन्द्र सिंह बल्द आनन्द सिंह सा.देह वर्ग–6 अंकित होकर नंबर खसरा खेत के खाना नंबर 6 में 267/1 तथा खाना नंबर 7 क्षेत्रफल में 10.63 अंकित है। शासकीय अभिलेख से पाया गया कि आवेदक वर्ष 1959 तक इस भूमि का भूमिस्वामी है जैसाकि शासकीय अभिलेख खसरा एंव खतौनी से पुष्टि होती है और जब शासकीय अभिलेख से आवेदक के भूमिस्वामी होने की पुष्टि होती है, तब अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 261/अ–6 अ/2008–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.6.2010 में यह अर्थ निकालना कि , अधीक्षक भू अभि0 भू प्रबंधन शाखा छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 84/2003–04 अ 6 अ में पारित आदेश दिनांक 25.10.2004 राजस्व अभिलेखों से पुष्ट न होने के कारण अधिकारिता विहीन है , अपर कलेक्टर का निष्कर्ष त्रृटिपूर्ण है एंव अपर आयुक्त सागर संभाग सागर ने भी इस ओर ध्यान न देने की भूल करने से अपर कलेक्टर छतरपुर एंव अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

5/ आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि जॉच में एंव साक्षीगण के कथनों में यह तथ्य प्रमाणित पाया गया है कि ग्राम कुदारी स्थित भूमि सर्वे नंबर 267/1 रकबा 10.73 एकड़

ग्रामीणों की साक्ष्य से एंव जांच में आवेदकों के पूर्वजों व्दारा खेती करते आना एंव उनके वाद आवेदक व्दारा जमींदारी काल से निरन्तर खेती करना परिलक्षित है । इस संबंध में अधीक्षक , भू अभि0 भू प्रबंधन शाखा छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 84/2003—04 अ 6 अ का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पृष्ठ क्रमांक 11 पर सरपंच ग्राम पंचायत कदारी की पदमुद्रा सहित एंव अन्य पंचान के व्दारा हस्ताक्षरित पंचनामा संलग्न है जिसमें अंकित है कि पुष्पेन्द्र सिंह त0 अन्नत सिंह ठाकुर ग्राम के निवासी है इनकी भूमि ग्राम कदारी में ख0नं0 267/1 रकबा 4.342 है. पर इन्हीं का फसल बोकर कब्जा चला आ रहा है यह भूमि इनकी पैत्रिक भूमि है। अधीक्षक भू अभि0 भू प्रबंधन शाखा छतरपुर व्दारा पुष्टिकरण में ग्रामीण रामस्वरूप आयु 50 वर्ष पुत्र रामनाथ चौवे के कथन अंकित किये है इनके कथनानुसार वादग्रस्त भूमि इस साक्षी की भूमि से लगी हुई भूमि है जबसे ध्यान है तब से इन्होंने आवेदक को खेती करते देखा है। इसी प्रकार का कथन अन्य मौखिक साक्षी जगदीश प्रसाद बिदुवां आयु 58 वर्ष पुत्र गोरेलाल विदुवां का है। अधीक्षक भू अभि0 भू प्रबंधन शाखा छतरपुर व्दारा ग्रामीणों की ली गई स्वतंत्र साक्ष्य से वादग्रस्त भूमि आवेदक व्दारा पूर्वजों के जमाने से खेती करते चले आने एंव उसके वाद आवेदक के व्दारा निरन्तर खेती करते आने से आवेदक के स्वामित्व की होना प्रतीत हुई है, किन्तु अपर कलेक्टर छतरपुर ने प्रकरण में आई साक्ष्य की अनदेखी की है और अपर आयुक्त सागर संभाग सागर ने इस पर गौर न करने की भूल की हैं।

6/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीक्षक भू प्रबंधन के आदेश के विरूद्व लम्बे अंतराल वाद अपील की गई है एंव विचारण न्यायालय में अनावेदक क्रमांक—1 पक्षकार भी नहीं था। अधीक्षक , भू अभि0 भू प्रबंधन शाखा छतरपुर के प्र0ा क0 84/2003—04 अ 6 अ में पृष्ठ क्रमांक 25 पर पटवारी हलका नंबर 55 दालौन राजस्व निरीक्षक मण्डल छतरपुर व्दारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 29.9.2004 संलग्न है जिसमें इस प्रकार अंकन है —

> **" मौजा कदारी स्थित भूमि ख0नं0 267/1 रकबा 4.342 है. का स्थल जांच श्रीमान के आदेशानुसार ग्रामवासी पंचों एंव सरहदी कृषकों के साथ किया। स्थल पर ग्रामवासी पंचों एंव सरहदी कृषकों ने बतलाया कि उक्त ख.नं. 267/1 रकबा 4.342 है0 पर पूर्व से पैत्रिक कब्जा पुष्पेन्द्र सिंह तनय आनन्दसिंह ठाकुर का रहा है तथा आज भी काविज है"।**

स्थल पर जांच के दौरान पटवारी व्दारा ग्रामीणों सहित तैयार किये पंचनामें में ग्रामीणों व्दारा अंकित कराया है कि यदि उक्त ख0नं0 की भूमि आवेदक के नाम की जाती है तो किसी ग्रामीण को कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक अपर कलेक्टर के समक्ष अपीलकर्ता अनावेदक कमांक 1 का प्रश्न है? अनावेदक कमांक ग्राम बृजपुरा का रहने वाला है जबकि आवेदक एंव वादग्रस्त भूमि ग्राम कदारी के हैं। वैसे भी

...धीक्षक भू अभि0 भू प्रबंधन शाखा छतरपुर द्वारा प्र0क0 84/2003–04 अ 6 अ में ...रित आदेश दि0 25.10.2004 के विरूद्व अपर कलेक्टर के समक्ष प्रथम अपील दि0 29.9.2009 को प्रस्तुत हुई है अर्थात लगभग 4 वर्ष 10 माह विलम्ब से प्रस्तुत हुई है। **म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 – धारा 247 – अनुचित विलम्ब क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।** अपर कलेक्टर छतरपुर ने आवेदक ...के विरूद्व व्यक्तिगत अथवा सम्यक सूचना दिये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया ...है साथ ही विलम्ब क्षमा करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर एंव अपील प्रस्तुत करने की ...अनुमति आवेदन पर कोई भी निर्णय न देकर सीधे अंतिम आदेश किया है जिसके ...कारण अपर कलेक्टर का आदेश दोषपूर्ण प्रकिया पर आधारित होना पाया गया है।

.../ अपर कलेक्टर छतरपुर ने अधीक्षक , भू अभि0 भू प्रबंधन शाखा छतरपुर ...द्वारा पारित आदेश दि0 25.10.2004 को निरस्त करने हेतु आधार लिया है कि मध्य ...प्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल के परिपत्र क0 एफ–30–18/2002 सात–2 ए ...दि0 21.1.2003 से भूमि आवंटन पर रोक है। अधीक्षक , भू अभि0 भू प्रबंधन शाखा ...छतरपुर के प्र0क0 84/2003–04 अ 6 अ के अवलोकन पर पाया गया कि यह ...मामला भूमि बन्टन के लिये दर्ज नहीं है अपितु संहिता की धारा 115 सहपठित 116 ...के अंतर्गत लिपिकीय त्रृटि से आवेदक का नाम खसरे में प्रविष्टि होने से छूट जाने ...का है ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा पारित आदेश दि0 29.6.2010 ...प्रकरण में आये वास्तविक तथ्यों के हटकर एंव मूल न्यायालय के अभिलेख में आये ...तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । इसी प्रकार अपर आयुक्त, ...सागर संभाग, सागर व्दारा प्र0क0 427/अ–6/2009–10 अपील में पारित आदेश ...दि0 8–1–2010 में की गई विवेचना प्रकरण में आये वास्तविक तथ्यों के विपरीत पाये ...जाने से उनके व्दारा पारित आदेश भी निरसन योग्य है।

.../ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा ...प्र0क0 427/अ–6/2009–10 अपील में पारित आदेश दि0 8–1–2010 एंव अपर ...कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 261/अ–6 अ/2008–09 अपील में पारित ...आदेश दिनांक 29.6.2010 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं । परिणामतः ...निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम कदारी स्थित भूमि सर्वे नंबर 267/1 रकबा 10.73 ...एकड़ (4.342 हैक्टर) पर आवेदक के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर